2004: CGHC: 2322

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर</u>

<u>द्वितीय अपील संख्या: 739/2003</u>

अपीलार्थी / प्रतिवादी

ठाकुरदास सोनी,आयु लगभग 65 वर्ष,पुत्र श्री छग्गलाल सोनी,
व्यापार – शीला ज्वेलर्स, निवासी – एडवर्ड रोड,सदर बाज़ार, रायपुर,
तहसील एवं जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी / वादीगण

1. सदाशिव राम देवकार,आयु लगभग 50 वर्ष,पुत्र श्री ज्ञानू देवकार,
व्यापार – व्यापार ,निवासी – एडवर्ड रोड,सदर बाज़ार, रायपुर,
तहसील एवं जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)।
2. राजाराम देवकार, आयु लगभग 46 वर्ष,पुत्र श्री ज्ञानू देवकार,
व्यापार – व्यापार ,निवासी – एडवर्ड रोड,सदर बाज़ार, रायपुर,
तहसील एवं जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अपील / वादपत्र कीमती –</u> रु 3395

<u>न्यायालय शुल्क चस्पा–</u> रु 370

द्वितीय अपील व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत ।

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर</u>

<u>द्वितीय अपील संख्या: 739/2003</u>

अपीलार्थी – ठाकुरदास सोनी

बनाम

प्रत्यर्थीगण– सदाशिव राम देवकर एव अन्य

आदेश हेतु इस प्रकरण को दिनांक 17.03.2004 को प्रस्तुत किया जाए।

सही/-
(एल. सी. भादु)
न्यायामूर्ति
17.03.2004

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

द्वितीय अपील संख्या: 739/2003

अपीलार्थी: **ठाकुरदास सोनी**

बनाम

प्रत्यर्थीगण: **सदाशिव राम देवकार एवं अन्य**

उपस्थित:

श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता —— अपीलार्थी की ओर से।

श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता —— प्रत्यर्थिगण की ओर से।

समक्ष: माननीय श्री न्यायमूर्ति एल.सी. भादु

निर्णय

(दिनांक 17 मार्च, 2004 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. प्रतिवादी/ अपीलार्थी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन यह द्वितीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि वह दिनांक 06.11.2003 को माननीय अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक न्यायालय), रायपुर द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 1 ए/2003 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति से असंतुष्ट है, जो कि व्यवहार वाद क्रमांक 367 ए/2002 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर द्वारा दिनांक 22.08.1997 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा प्रतिवादी / अपीलार्थी के विरुद्ध वादीगण / प्रत्यर्थीगण के पक्ष में वाद स्वीकृत करते हुए वादग्रस्त परिसर से बेदखली का आदेश पारित किया गया था।

2. इस द्वितीय अपील के निराकरण के लिए सुसंगत संक्षिप्त तथ्यों की विवरणी इस प्रकार है कि वादीगण/ प्रत्यर्थीगण ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर की न्यायालय में प्रतिवादी/ अपीलार्थी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसमें वादग्रस्त परिसर, जो कि वाद पत्र के कंडिका 4 में 'जीएचआईजेजी' वर्णित है, से बेदखली की मांग की गई। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी उक्त

परिसर में सोना-चांदी के आभूषण का व्यापार संचालित कर रहा है तथा वह उस दुकान में मासिक किराया रूपये 55/- (पचपन रुपये मात्र) प्रतिमाह पर अभिधारी है। प्रतिवादी ने उक्त दुकान पूर्व मकान मालिकगण - श्री साधुराम अग्रवाल एवं श्री राकेश अग्रवाल से किराये पर ली थी, जिनसे वादीगण / प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 22.04.1992 एवं 23.04.1992 के विक्रय विलेखों के माध्यम से वादग्रस्त परिसर सहित अन्य संपत्तियाँ क्रय की थीं। इस संबंध में पूर्व मकानमालिकों तथा वर्तमान वादीगण द्वारा प्रतिवादी को सूचित भी किया गया था। वादीगण ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि प्रतिवादी अभिधारी न तो किराया अदा कर रहा है और न ही प्रस्तुत कर रहा है, जिससे वह किराया बकायादार (डिफॉल्टर) है तथा वादग्रस्त परिसर से निष्कासन के लिए उत्तरदायी है। वादीगण ने यह भी आधार प्रस्तुत किया कि दोनों वादीगण के पुत्र बेरोजगार हैं एवं आभूषण निर्माण व परिष्करण (रिफाइनरी) हेतु उक्त वादग्रस्त दुकान की आवश्यकता है, तथा उनके पास किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर का विकल्प उपलब्ध नहीं है।प्रतिवादी / अपीलार्थी ने लिखित कथन प्रस्तुत कर वादीगण की आवश्यकता को अस्वीकार किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. माननीय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किए जाने के उपरांत तथा वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के साक्ष्य अभिलिखित कर लेने के पश्चात वाद को वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष एक नियमित अपील प्रस्तुत की गई, जिसे आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति द्वारा निरस्त कर दिया गया।
4. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना ।
5. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के प्रावधानों के अनुसार यह न्यायालय केवल उन्हीं अपीलों की सुनवाई हेतु अधिकृत है, जिनमें "विधि का सारवान प्रश्न" निहित हो, क्योंकि उक्त धारा में स्पष्ट कहा गया है कि "जब तक इस संहिता या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, अपील न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आज्ञप्ति के विरुद्ध उच्च

न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाए कि उक्त मामले में कोई विधि का सारवान प्रश्न निहित है।" अतः, अन्य किसी आधार पर द्वितीय अपील स्वीकार्य नहीं है।

6. अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा कोई विधि का सारवान प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। **काशीबाई एवं अन्य बनाम पार्वतीबाई एवं अन्य (1995 (61) एस.सी.सी. पृष्ठ 213)** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया कि "यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 की उपधारा (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि अपील न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आज्ञप्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाए कि उक्त मामले में कोई विधि का सारवान प्रश्न निहित है। उपधारा (4) के अनुसार, यदि उच्च न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाए कि किसी प्रकरण में कोई विधि का सारवान प्रश्न निहित है, तो उसे उस प्रश्न को विधिवत विरचित करना होगा। इस न्यायालय का यह सतत मत रहा है कि मात्र तथ्यात्मक निष्कर्ष में त्रुटि के आधार पर द्वितीय अपील सुनवाई योग्य नहीं होती, चाहे साक्ष्य की विवेचना में कितनी भी गंभीर या स्पष्ट त्रुटि क्यों न हो। "**दुर्गा चौधरीन बनाम जवामीर सिंह चौधरी (17 I.A. 122 P.C.)** के प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि "तथ्यात्मक निष्कर्ष में त्रुटि के आधार पर द्वितीय अपील सुनवाई योग्य नहीं होती, चाहे वह त्रुटि कितनी ही स्पष्ट अथवा क्षमायोग्य क्यों न प्रतीत होती हो**"। अनोबा भाऊराव शेमड़े बनाम मारोती भाऊराव मरनोर (1999 (2) एस.सी.सी. 471)** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "यह प्रश्न कि कोई तथ्यात्मक निष्कर्ष साक्ष्य के भार के विरुद्ध है, न तो कोई विधिक प्रश्न उठाता है और न ही कोई विधि का सारवान प्रश्न।" संविधान पीठ द्वारा **चुन्नीलाल वी. मेहता एण्ड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (1962 Supp (3) SCR 549)** के प्रकरण में यह निर्णय दिया गया कि:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"यह निर्धारित करने हेतु कि कोई विधिक प्रश्न 'सारवान' है या नहीं, उचित कसौटी यह है कि क्या वह प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है अथवा क्या वह पक्षकारों के अधिकारों को प्रत्यक्ष एवं गंभीर रूप से प्रभावित करता है, तथा क्या वह प्रश्न अब तक सर्वोच्च न्यायालय, प्रिवी काउंसिल अथवा फेडरल कोर्ट द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है, अथवा क्या वह ऐसा प्रश्न है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार की आवश्यकता है। यदि वह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत है या यदि उस पर लागू होने वाले सामान्य सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित हैं और मामला केवल उन सिद्धांतों के अनुप्रयोग का है अथवा यदि प्रस्तुत याचिका स्पष्टतः निराधार है, तो वह प्रश्न 'विधि का सारवान प्रश्न" नहीं माना जाएगा।

7. अतः उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि द्वितीय अपील के ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय को यह परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या अपील में कोई विधि का सारवान प्रश्न विद्यमान है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 100 अपील का कोई पूर्ण एवं स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करती।यह विधिक रूप से स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी निर्णय एवं आज्ञप्ति को बिना किसी साक्ष्य के या अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए पारित किया गया हो, तो यह प्रश्न भी एक विधि का सारवान प्रश्न बनता है कि क्या अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आज्ञप्ति अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के बिना या उनकी पूर्ण उपेक्षा करते हुए पारित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम हरफूल सिंह 2000 (5) एस.सी.सी. पृष्ठ 652** के प्रकरण में यह निर्णय दिया कि "जहाँ साक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास एवं विसंगतियाँ हों और उठाए गए मुद्दे गंभीर प्रकृति के हों (जैसे कि वर्तमान मामले में राज्य की वादग्रस्त संपत्ति पर स्वामित्व समाप्त करना), वहाँ यह माना गया कि उच्च न्यायालय धारा 100 की सीमाओं से बाध्य नहीं होता तथा वह अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। जब निष्कर्ष केवल अनुमान या संभावना पर आधारित हों, विधिसम्मत साक्ष्य के आधार पर न हों और स्पष्टतः सर्वोच्च

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय द्वारा उद्घोषित विधि के विपरीत हों, तब ऐसे निर्णय अपीलीय न्यायिक प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप से प्रतिरक्षित नहीं हो सकते।

8. अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिवचनित उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में यदि हम वर्तमान अपील की समीक्षा करें, तो अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / प्रतिवादी की अपील को इस आधार पर अस्वीकार करना न्यायोचित था जबकि न्यायालय ने इस तथ्य की पूर्णतः उपेक्षा की कि प्रत्यर्थीगण / वादीगण ने वादग्रस्त भवन की आवश्यकता संबंधी कोई स्पष्ट और वास्तविक आवश्यकता न तो अपने वादपत्र में दर्शाई और न ही उसे साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया। जबकि स्वयं वादीगण की साक्ष्य में यह तथ्य सामने आया है कि वे दो गैर-आवासीय परिसरों के स्वामी हैं, जिनमें वे आभूषणों की दुकानों का संचालन कर रहे हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि जब वाद की आज्ञप्ति पारित की गई, तब न्यायालय ने मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 12 की उपधारा (1) की उपधारा (i) की अनिवार्यता पर विचार नहीं किया, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि – 'स्वामी या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसके लिए वाद दायर किया गया हो, के पास उस नगर या नगरपालिका क्षेत्र में कोई अन्य उपयुक्त गैर-आवासीय परिसर उसकी स्वयं की अथवा उसकी अधिभोगाधीनता में न हो। प्रथम दृष्टया, यह उच्च न्यायालय इस आधार पर द्वितीय अपील की सुनवाई करने के लिए अधिकृत नहीं है जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने एकमत रूप से यह तथ्य अभिवचन किया हो कि वादीगण के पुत्रों के लिए वादग्रस्त परिसर की आवश्यकता है।यद्यपि इसके अतिरिक्त भी, यदि हम वादपत्र, साक्ष्य और दोनों न्यायालयों के निर्णयों का परीक्षण करें, तो अपीलार्थी के अधिवक्ता का प्रस्तुत किया गया तर्क विधिक दृष्टि से निराधार और पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण प्रतीत होता है।वादीगण ने अपने वादपत्र के कंडिका 7, 8 क , 8 ख एवं 8 ग में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वादग्रस्त संपत्ति वादी संख्या 1 को उसके पुत्रों – गणेश एवं अनिल के लिए सोने-चांदी के आभूषण व्यापार प्रारंभ करने हेतु वास्तविक रूप से आवश्यक है, और वादी संख्या 1 के पास ऐसा कोई अन्य उपयुक्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध नहीं है, जहाँ वह अपने पुत्रों का व्यापार प्रारंभ कर सके।इसी प्रकार, कंडिका 8 ख में यह उल्लेख किया गया है कि वादी संख्या 2 को अपने पुत्र सुनील कुमार, जो कि बेरोज़गार है, के लिए सोने-चांदी के रिफाइनरी व्यापार प्रारंभ करने हेतु वादग्रस्त परिसर की वास्तविक आवश्यकता है, और वादी संख्या 2 के पास भी ऐसा कोई अन्य वैकल्पिक गैर-आवासीय परिसर नहीं है। कंडिका 8 ग में यह भी उल्लेखित है कि वर्तमान में वादीगण 'देवकार ज्वेलर्स' नामक फर्म के नाम से एडवर्ड रोड, रायपुर स्थित दुकान में साझेदारी व्यापार संचालित कर रहे हैं, जो कि वादीगण एवं उनके भाइयों की संयुक्त हिंदू अविभाजित पारिवारिक संपत्ति में स्थित है, तथा वादीगण के पुत्र वर्तमान में बेरोज़गार हैं।अतः,वादीगण का वाद अत्यंत विशिष्ट एवं स्पष्ट है कि वे सोने-चांदी के आभूषणों का व्यापार 'देवकार ज्वेलर्स' के नाम से एडवर्ड रोड, रायपुर स्थित एक दुकान में संचालित कर रहे हैं, जो कि एक संयुक्त पारिवारिक व्यापार है।वादी संख्या 1 राजाराम देवकार (वादी साक्षी -1) तथा वादी संख्या 2 सदाशिव देवकार (वादी साक्षी -2) की साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि 'देवकार ज्वेलर्स' एक संयुक्त हिंदू अविभाजित पारिवारिक संपत्ति है, जिसमें वादीगण अपने तीसरे भाई के साथ साझेदार हैं और वे सभी व्यापार को संचालित कर रहे हैं।जबकि वादग्रस्त परिसर उनके बेरोज़गार पुत्रों के लिए पृथक व्यापार प्रारंभ करने हेतु आवश्यक है, और वर्तमान में उनके पुत्र उसी व्यापार को सीख रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी साक्ष्य में कहा कि उक्त परिसर उनके पुत्रों गणेश, अनिल एवं सुशील के व्यापार हेतु आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहाँ तक वैकल्पिक गैर-आवासीय परिसर की उपलब्धता का प्रश्न है, जिसे अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उठाने का प्रयास किया गया, वह पहले ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार किया जा चुका है। दोनों गवाहों ने विशेष रूप से यह कहा है कि उनके पास अपने पुत्रों का व्यापार प्रारंभ करने हेतु कोई अन्य गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध नहीं है।वादी संख्या 1 राजाराम देवकार (वादी साक्षी -1) ने अपनी गवाही के कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास कोई अन्य गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान में उनके पुत्र तथा उनके भाई का पुत्र,

उनके संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यापार 'देवकार ज्वेलर्स' में उनकी सहायता कर रहे हैं।प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि 'देवकार ज्वेलर्स' नामक उक्त दुकान, उनके उसी भवन में संचालित की जा रही है जो तीन मंजिला है और जिसका उपयोग वे अपने आवासीय प्रयोजनों हेतु भी करते हैं। वादी साक्षी -2 की गवाही में भी यही बात सामने आई है। अपनी गवाही के कंडिका 8 एवं 9 में वादी साक्षी -2 ने यह स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध नहीं है जहाँ वे अपने पुत्रों के लिए व्यापार प्रारंभ कर सकें, और वर्तमान में उनके पुत्र भी उनके संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यापार में उनकी सहायता कर रहे हैं।प्रतिवादी ने अपनी गवाही के कंडिका 8 में कहा है कि उन्होंने किसी कार्यालय से अथवा किसी व्यक्ति से यह पुष्टि नहीं की है कि वादीगण के पुत्र वास्तव में व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने यह कथन केवल अपने अनुमान के आधार पर दिया है कि वादीगण के पुत्र स्वयं व्यापार कर रहे हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. जब वादीगण ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उनके पास कोई वैकल्पिक गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध नहीं है, तब प्रतिवादी को यह अवसर प्राप्त था कि वह प्रतिपरीक्षा के दौरान उनसे यह तथ्य स्पष्ट करवा सकता था अथवा यह सुझाव दे सकता था कि कोई विशिष्ट भवन उनके अधिभोग में है जिसमें वे अपने पुत्रों का व्यापार चला सकते हैं।केवल सामान्य रूप से यह गवाही देना कि वादीगण के पास उनके पुत्रों का व्यापार संचालित करने हेतु वैकल्पिक गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध है, पर्याप्त नहीं है और उस आधार पर वादीगण के वाद को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णयों में इस पहलू पर विधिवत विचार किया है।

11. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं विचारों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि वादीगण यह प्रमाणित एवं स्थापित नहीं कर पाए कि उनके पास अपने पुत्रों का व्यापार प्रारंभ करने हेतु कोई वैकल्पिक गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, कोई सारवान विधिक प्रश्न इस अपील में उठाया नहीं जा सका है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एक सारवान विधिक प्रश्न के रूप में यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया कि क्या माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को इस आधार पर अस्वीकार किया जाना उचित था, जबकि प्रत्यर्थीगण/वादीगण के बीच दो विद्यमान गैर-आवासीय परिसरों अर्थात् 'देवकार ज्वेलर्स' एवं 'देवता ज्वेलर्स' की स्वामित्व स्थिति को लेकर विसंगति पाई जाती है।प्रथम दृष्टया, यह बिंदु न तो विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,अतः प्रतिवादी/अपीलार्थी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह इस बिंदु को द्वितीय अपील में पहली बार उठाए। इसके अतिरिक्त भी, अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण एवं निराधार है। वादीगण की गवाही में दो विद्यमान गैर-आवासीय परिसरों की स्वामित्व स्थिति को लेकर कोई वास्तविक विसंगति नहीं है। वादी साक्षी -1 राजाराम देवकार ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा कि सोने-चांदी के आभूषणों का संयुक्त हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यापार 'देवकार ज्वेलर्स' के नाम से संचालित होता है, जबकि वादी साक्षी -2 सदाशिव देवकार ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया कि संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यापार 'देवता ज्वेलर्स' के नाम से संचालित है।ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य देते समय वादी साक्षी -2 ने अनजाने में 'देवकार ज्वेलर्स' के स्थान पर 'देवता ज्वेलर्स' का नाम कह दिया, और यदि यह मुद्दा प्रतिवादी/अपीलार्थी के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था, तो उसके अधिवक्ता को प्रतिपरीक्षा के दौरान यह तथ्य स्पष्ट कराना चाहिए था कि 'देवकार ज्वेलर्स' और 'देवता ज्वेलर्स' दो पृथक फर्में हैं तथा वादीगण के पास अपने पुत्रों के व्यापार के संचालन हेतु पर्याप्त गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध है। किंतु ऐसा नहीं किया गया।विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचार हेतु वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या वादीगण के पुत्रों के व्यापार के संचालन हेतु कोई वैकल्पिक गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध है। इस संबंध में वादीगण ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि उनके पास ऐसा कोई वैकल्पिक परिसर उपलब्ध नहीं है। वहीं प्रतिवादी इस तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहा कि वादीगण के अधिभोग में ऐसा कोई विशिष्ट गैर-आवासीय परिसर उपलब्ध है, जिसमें उनके पुत्रों का व्यापार संचालित किया जा

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सकता है।अतः,इस आधार पर भी प्रतिवादी कोई सारवान विधिक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त दुकान का एक भाग प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तथा अन्य भाग प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा क्रय किया गया था, अतः उन्हें अपने-अपने अधिकार में, अपने-अपने पुत्रों की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए पृथक-पृथक रूप से बेदखली की कार्यवाही करनी चाहिए थी। किंतु उन्होंने संयुक्त रूप से वाद प्रस्तुत कर उक्त दुकान की बेदखली हेतु अनुचित वाद दायर किया है।

14. प्रथम दृष्टया, यह बिंदु अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित कथन में नहीं उठाया गया था और न ही विचारण न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर कोई विवाद्यक विरचित किया गया था। तथापि, पक्षकारों की ओर से कोई विशेष याचिका या वाद में उल्लिखित न होने के बावजूद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया। मेरी राय में, माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। फिर भी, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार, सभी व्यक्ति एक ही वाद में वादी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं, यदि——

(क) कोई ऐसा अधिकार राहत प्राप्त करने का, किसी एक कार्य या लेन-देन अथवा लेन-देन की श्रृंखला से उत्पन्न होता हो अथवा उससे संबंधित हो, जो ऐसे व्यक्तियों में संयुक्त रूप से, पृथक-पृथक रूप से या वैकल्पिक रूप से विद्यमान हो; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्तियों द्वारा पृथक-पृथक वाद दायर किए जाते, तो कोई समान विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होता।

इस संदर्भ में आदेश 2 का नियम 3 भी सुसंगत है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ——

(1) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई वादी एक ही वाद में कई कारणों पर आधारित कार्यवाही को एकत्रित कर सकता है, चाहे वे उसी प्रतिवादी के विरुद्ध हों या संयुक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध; और यदि वादीगण के पास ऐसे कारण हों जिनमें वे एक साथ किसी एक प्रतिवादी या

संयुक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभिरुचि रखते हों, तो वे ऐसे कारणों को एक ही वाद में एकत्रित कर सकते हैं।

15. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम वर्तमान वाद के तथ्यों पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त परिसर को प्रतिवादी ने पूर्व स्वामी से एक इकाई के रूप में किराए पर लिया था। तथापि, प्रत्यर्थीगण ने उक्त वादग्रस्त दुकान सहित अन्य भूमि को पूर्व स्वामी से क्रय किया, तथा प्रत्येक प्रत्यर्थी ने उक्त दुकान का आधा-आधा भाग और अन्य भूमि पृथक विक्रय विलेखों के माध्यम से खरीदी। वादीगण ने अपने पुत्रों की उचित एवं वास्तविक आवश्यकता अर्थात् सोने-चांदी के आभूषण व्यापार की स्थापना हेतु उक्त दुकान की बेदखली के लिए वाद दायर किया है।व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार, जब अनेक वादी विभिन्न स्रोतों से किसी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करते हैं, तो वे सभी उस सम्पत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए एक ही वाद में प्रतिवादीगण के विरुद्ध संयुक्त रूप से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, भले ही उक्त सम्पत्ति को उन्होंने भिन्न-भिन्न विक्रय विलेखों के माध्यम से विभिन्न भागों में खरीदा हो। यदि सम्पत्ति का अभिधारी एक ही है, तो उसकी बेदखली के लिए सभी वादीगण द्वारा संयुक्त रूप से वाद दायर किया जाना विधिसम्मत एवं ग्राह्य होता है, क्योंकि ऐसा वाद आदेश 1 नियम 1 की आवश्यकताओं का पालन करता है। यह नियम पक्षकारों का संयोजन एवं वाद हेतुक पर भी लागू होता है।इस सन्दर्भ में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **हरिराम बनाम कन्हैया (ए.आई.आर. 1975 राजस्थान 23)** में दिए गए निर्णय का सहारा लेता हूँ, जिसमें यह अभिवचन किया गया कि जब वादीगण के बीच कोई हित-विरोध नहीं है, और अभिधारी परिसरों के संबंध में उत्पन्न वाद का कारण समान है अर्थात् वादीगण की वास्तविक आवश्यकता तो ऐसा वाद बहुविधता के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः, उपर्युक्त विधिक विश्लेषण के आलोक में, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क कोई सारवान विधिक प्रश्न नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किसी अन्य बिंदु पर जोर दिया गया।

17. उपरोक्त विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में, प्रतिवादी/ अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष कोई भी सारवान विधिक प्रश्न प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। अतः, चूँकि इस द्वितीय अपील में कोई सारवान विधिक प्रश्न विद्यमान नहीं है, यह अपील केवल इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है, और तदनुसार, इसे ग्राह्यता स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

सही/-
(एल. सी. भादू)
न्यायामूर्ति
17.03.2004

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । **समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by – Adv Yagvendra Singh